भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं ।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 7, 1987

एस.ओ. 258:—राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 (एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 3 के खण्ड (5) के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला उदयपुर के ग्रामों में नीचे दी गई सारणी के कालम नं. 4 में अंकित 10 मजरे/ढाणियों को एतद्पश्चात् गांव के रूप में माना तथा अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका क्षेत्रफल दर्तमान ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम नं. 5 के अनुसार होगा :—

क्र.सं.	नाम तहसील	मूल गांव का नाम	प्रस्तावित नये गांव का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	2	3	4	5
1	मोम	1—कूकर खेड़ा	1—सदारण	429
		2—छापलो	2—धीमा खेड़ा	2046
		3—बोखा	3—सटा भोज का बाड़िया	1219
			4—बोरवावास	1300
		4—बलियावास	5—राजवा	1007
		5—कूकडा	6—बारला चौड़ा	1000
			7—लसाड़िया	1000
			8—मियाला खेत	1000
			9—थानेटा	658
			10—जालपा	1000

उक्त क्षेत्रफल जिलाधीश के द्वारा प्रस्तावित खसरा नम्बरान एवं नक्शों के अनुसार ही है ।

(संख्या एफ. 9(29)राजा.ग्रुप-1185)

आज्ञा से,
एम. के. सक्सेना,
उप शासन सचिव ।

राजस्व (वन) विभाग

अधिसूचना

SAJJANGARH WLS

जयपुर, फरवरी 17, 1987

एस. ओ. 259:—यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्रों को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक प्राणिजातीय, वनस्पति, भू-संरक्षण तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सहयोजन और महत्व के कारण वन्य जीव अभयारण्य के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में "सज्जनगढ अभयारण्य" के नाम से जाना जावेगा अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम तहसील	जिला	सीमाएं	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	वन्य जीव अभयारण्य सज्जनगढ़	गिर्वा	उदयपुर	उत्तर—वन खण्ड सज्जनगढ़ की उत्तरी सीमा पूर्व—वन खण्ड सज्जनगढ की पूर्वी सीमा दक्षिण—सज्जनगढ़ वन खण्ड की दक्षिणी सीमा पश्चिम—सज्जनगढ वन खण्ड की पश्चिमी सीमा	

(संख्या प. स.एफ. 11 (64) राज-8/86).

राज्यपाल की आज्ञा से,
जे. एस. यादव,
उप शासन सचिव, वन।

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

अधिसूचनाएं

जयपुर, फरवरी 10, 1987

एस. ओ. 260:— राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 29) के अधीन कर अपवंचन निर्धारित करने और रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य में अस्थाई रूप से स्थापित जांच चौकी "मंगलाना" को जो वृत सिरोही जिला सिरोही में है, को नजदीक लगाई जावे।

अत: राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 22-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा जांच चौकी "मंगलाना" का नाम मंगलाना (मकराना) करते हुए उसे मकराना कस्बे के नजदीक स्थानान्तरण के निर्देश देती है।

(संख्या प. 21 (2) वित्त/ग्रुप-4/82)